संख्या–२९५/XXVII(7)30(11)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
पंचायतीराज विभाग/शहरी विकास विभाग/
पेयजल विभाग/आवास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7 देहरादून दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

विषयः– **राज्य वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही।**

महोदय,

कार्मिकों के वेतन/भत्तों के पुनरीक्षण हेतु राज्य में गठित वेतन समिति ने प्रथम प्रतिवेदन भाग–एक. में जिला पंचायतों, स्थानीय निकायों/जल संस्थानों/विकास प्राधिकरणों के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु कतिपय संस्तुतियॉ की है। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त अपनी संस्तुति में निम्न बिन्दु इंगित किये गये हैः–

1. वेतन समिति द्वारा अपनी टिप्पणी में उल्लेख किया है कि आर्दश स्थिति में नगर निगम एवं जिला पंचायतों का प्रशासनिक व्यय 15 प्रतिशत, नगर पालिका का 20 प्रतिशत तथा नगर पंचायतों का 25 प्रतिशत तक सीमित रखा जाना चाहिए, लेकिन उक्त मानदण्डों में कोई भी संस्था खरी नहीं उतर रही है। नगर निकायों की आय व वेतन/पेंशन आदि का व्ययभार लगभग बराबर है और अवसंरचना/विकास कार्यों सहित नागरिक सेवाओं को बनाये रखने के लिये उन पर वित्तीय संसाधन अपर्याप्त हो जाना इंगित हो रहा है।

2. प्रत्येक निकाय में वार्षिक संपरीक्षित लेखा व तुलन पत्र अध्यावधि होने, लेखा डबल एन्ट्री व्यवस्था अन्तर्गत बनाये जाने व इस हेतु यूनीफार्म साफ्टवेयर का उपयोग करने आदि के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई है। उल्लेखनीय है कि नगर निकायों में वार्षिक लेखा व उनकी सम्परीक्षा अध्यावधि पूर्ण नहीं है।

3. पूर्व में सभी नगर निकायों में छठे वेतनमानों के अनुरूप कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किये गये हैं। पुनरीक्षित वेतनमानों से बढ़ने वाले व्ययभार सहित नागरिक सेवाओं व अवसंरचना/विकास कार्यों हेतु पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता बनी रहे इस दृष्टिकोण से नगर निकायों के सम्बन्ध में एकाधिक उपचारात्मक कार्यवाही व आय बढ़ाने की व्यवस्था तत्काल की जानी चाहिए। इस प्रतिबन्ध सहित प्रत्येक नगर निकाय के सम्बन्ध में उनके वार्षिक संपरीक्षित लेखा/तुलन पत्र अध्यावधि पूर्ण कर लेने तथा आर्थिक स्थिति उपयुक्त होने पर पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य करने पर विचार किया जाय।

4. जिला पंचायतों की निजी स्रोतों से प्राप्त आय अपने कर्मचारियों के वेतन आदि कार्यों के लिए भी पर्याप्त नहीं है। स्पष्ट है कि जिला पंचायतों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है और इस दृष्टि से सातवें वेतनमान लागू करने के लिए उनके अपने वित्तीय संसाधन अपर्याप्त होंगे।

5. समिति द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला पंचायतों के वार्षिक संपरीक्षित लेखा अध्यावधि पूर्ण होने सम्बन्धी कोई सूचना नहीं दी गई है। लेखा डबल एन्ट्री व्यवस्था से तैयार किये जा रहे हैं एवं कोई एकरूप (Uniform) साफ्टवेयर उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं यह सूचना भी नहीं दी गई है। सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने से पूर्व प्रत्येक जिला पंचायत के वार्षिक संपरीक्षित लेखा अध्यावधि पूर्ण कर लेने, लेखा डबल एन्ट्री से यूनिफार्म साफ्टवेयर से बनाये जाने की कार्यवाही करने सहित वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विचार किया जाय।

6. स्थानीय निकायों/जिला पंचायतों की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए सर्वप्रथम इन संस्थाओं के बोर्डों के द्वारा वेतन पुनरीक्षण का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए जिसमें वित्तीय भार वहन किये जाने के उपायों तथा प्रशासनिक व्यय को कुल आय के 50 प्रतिशत से कम लाने के उपायों के संबंध में स्पष्ट कार्य योजना भी बनायी जाए।

2– सभी शर्तें पूर्ण होने पर एवं स्थापित मानकों के अधीन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए जिला पंचायत/स्थानीय निकाय/जल संस्थान/विकास प्राधिकरण के विभिन्न श्रेणी के नियमित कार्मिकों, जिन्हें पूर्व में राज्य सरकार के कार्मिकों के समान वेतनमान अनुमन्य है, को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 में निहित प्रक्रियानुसार निम्न वर्णित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नयी वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स यथाप्रक्रिया स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

1. स्थानीय निकायों/जिला पंचायतों/जल संस्थान/विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सम्बन्धित बोर्ड से पारित प्रस्ताव के कम में नये वेतन मैट्रिक्स लागू किये जाने हेतु सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा यथाप्रक्रिया आदेश जारी किये जायेंगे।
2. उक्त पुनरीक्षित वेतनमान का नकद भुगतान किये जाने पर सम्बन्धित निकाय/संस्थान/प्राधिकरण द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।
3. उक्तवत पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमानों के समस्त एरियर का भुगतान अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों तथा Devolution से अन्तरित की जाने वाली धनराशि से ही किया जाएगा और इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जाएगी।

कृपया उपरोक्त के कम में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।